डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र. बि.पू.भू.-04 भोपाल-03-05.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-03-05,

मध्यप्रदेशा राजपञ्च

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 103]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 31 मार्च 2005—चैत्र 10, शक 1927

विधि और विधायों कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2005

क्र. 1630-99-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 29 मार्च 2005 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ' अखिलेश पंड्या, अति. सचिवः'

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक ७ सन् २००५.

मध्यप्रदेश ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास अधिनियम, २००५.

विषय-सूची

धाराए :

- १. संक्षिप नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ.
- २. परिभाषाएं.
- ३. कर का उद्ग्रहण.
- ४. कर का भुगतान तथा वसूली.
- ५. अपील.
- ६. सक्षम प्राधिकारी की सहायता करने के लिए व्यक्तियों की नियुक्ति.
- ७. कर आगम का पृथक लेखा-शीर्ष रखा जाना,
- ८. कर के आगम का उपयोग.
- ९. सक्षम प्राधिकारी तथा अन्य व्यक्ति लोक सेवक होंगे.
- १०. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.
- ११. नियम बनाने की शक्ति.
- १२. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक ७ सन् २००५.

मध्यप्रदेश ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास अधिनियम, २००५.

[दिनांक 29 मार्च, 2005 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक 31 मार्च, 2005 को प्रथमकार प्रकारि की गई.]

ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषतया राज्य के पिछड़े तथा खनिज क्षेत्रों में अवसंरचना तथा सड़कों के विकास के लिए अतिरिव संसाधन के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में सध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रास्थाः

- १ (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास अधिनियम, २००५
- (२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर लागू होगा.
- (३) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे.

परिभाषाएं.

- २. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) किसी वित्तीय वर्ष के संबंध में "खनिजंधारी भूमि का वार्षिक मूल्य" से अभिप्रेत है उस वित्ती वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती दो वर्षों के दौरान खनिजंधारी भूमि से उत्पादित खनिज के मूल्य व आधा मूल्य, जो खनिज का ऐसा मूल्य है, जो उक्त दो ठीक पूर्ववर्ती वृषों के दौरान खनि के संपूर्ण उत्पादन द्वारा प्राप्त किया जाता, यदि ऐसे खनिजंधारी भूमि के स्वामी ने ऐसे खनि का कर, फीस, शुल्क, रायल्टी, क्रिशंग प्रभार, वाशिंग प्रभार, परिवहन प्रभार की रकम या कि अन्य रकम, जो विहित की जाए, को अपवर्जित करते हुए, ऐसे मूल्य या मूल्यों पर निक्र किया था, जो उस वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन की ठीक पूर्ववर्ती तारीख को प्रचलित रहा हो,
 - स्पष्टीकरण-एक.—जहां खनिज की भिन्न-भिन्न श्रेणियों (ग्रेड) या क्वालिटी के लिए उस वितीय व की पहली तारीख की ठीक पूर्ववर्ती तारीख को भिन्न-भिन्न कीमतें प्रचलित हों, वहां उस विती वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती दो वर्षों के दौरान उत्पादित प्रत्येक श्रेणी या क्वालिटी के खिनज व मूल्य तद्नुसार अवधारित किया जाएगा;
 - स्पष्टीकरण-दो.— जहां उस वित्तीय वर्ष की पहली तारीख की ठीक पूर्ववर्ती तारीख की खिनज क कीमतें उपलब्ध न हों, वहां खिनज की कीमत या कीमतें राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति अवधारित की जाएंगी, जैसी कि विहित की जाएं,—
 - (ख) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है ऐसा प्राधिकारी, जो विहित किया जाए;
 - (ग) ''अपील प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है ऐसा प्राधिकारी, जो विहित किया जाए;
 - (घ) ''कोयलाधारी भूमि'' (कोल बियरिंग लैण्ड) से अभिप्रेत है कोई भूमि, जो कोयला अभिप्राप्त क के प्रयोजन के लिए किसी विधि के अधीन, समय-समय पर, अर्जित या घोषित व गई हो;

- (ङ) ''खिनजधारी भूमि'' (मिनरल बियरिंग लैण्ड) से अभिप्रेत है ऐसी कोई भूमि जिसमें खान और खिनज (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५७ (१९५७ का ६७) की धारा ३ के खण्ड (क) में यथा परिभाषित खिनज हों, और खनन संक्रिया के लिए धारित हो और इसमें कोयलाधारी भूमि सम्मिलित है;
- (च) ''कर के आगम'' से अभिप्रेत है धारा ३ के अधीन उद्गृहीत कर के आगम;
- (छ) ''कर'' से अभिप्रेत है धारा ३ के अधीन उद्गृहीत ग्रामीण अवसंरचना तथा सड्क विकास कर; और
- (ज) "वर्ष" से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष.
- ३. (१) इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर समस्त खनिजधारी भूमि पर ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क कर का उद्ग्रहण. विकास कर इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में उद्गृहीत तथा संगृहित किया जाएगा,
- (२) ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास कर, समस्त खनिजधारी भूमि पर, ऐसी खनिजधारी भूमि के वार्षिक मूल्य के बीस प्रतिशत से अधिक न होने वाली ऐसी दर पर प्रतिवर्ष उद्गृहीत किया जाएगा, जैसी कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, और भिन्न-भिन्न खनिजधारी भूमि के लिए भिन्न-भिन्न देरें नियत की जा सकेंगी:

परन्तु किसी ऐसी खनिजधारी भूमि के मामले में, जहां लगातार दो या उससे अधिक वर्ष में खनिज का कोई उत्पादन न हुआ हो, वहां ऐसी भूमि ऐसी दर से कर के उद्ग्रहण के दायित्वाधीन होगी, जैसी कि विहित की जाए:

परन्तु यह और कि राज्य सरकार, किसी ऐसी खनिजधारी भूमि के संबंध में तीन वर्ष की किसी कालाविध के दौरान एक से अधिक बार कर की दर में वृद्धि नहीं करेगी.

- (३) राज्य सरकार, उपधारा (२) के अधीन कर की दर नियत करने के पूर्व ऐसी रीति में समिति नियुक्त करेगी, जो विहित की जाए, जो राज्य सरकार को उस दर (रेट) की सिफारिश करेगी, जिस पर कर उद्गृहीत किया जा सकेगा.
 - (४) उपधारा (२) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान सभा के पटल पर रखी जाएंगी.
 - ४. (१) धारा ३ की उपधारा (२) के अधीन खनिजधारी भूमि के संबंध में देय कर का भुगतान उस व्यक्ति द्वारा, जो ऐसी भूमि को धारण करता है, राज्य सरकार को ऐसी रीति में, ऐसे अंतराल से, और ऐसी तारीख या तारीखों तक किया जाएगा, जो विहित की जाएं:

कर का भुगतान तथा वसूली.

परंतु जहां कोई व्यक्ति एक से अधिक खनिज के लिए खनिजधारी भूमि धारण करता है, वहां उसके द्वारा कर का भुगतान ऐसी रीति में किया जाएगा, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा अवधारित की जाए.

(२) खिनजधारी भूमि का प्रत्येक धारक, विहित तारीख तक, किसी कालाविध के लिए उपधारा (१) के अधीन उसके द्वारा देय कर के भुगतान में चूक होने की दशा में ऐसी रकम, जो उसके द्वारा उस कालाविध के लिए इस प्रकार देय कर के तीन गुने से अधिक नहीं होगी, शास्ति के तौर पर चुकाने का दायी होगा:

परन्तु सक्षम <mark>प्राधिकारी, खनिजधारी भू</mark>मि के धारक <mark>को ऐसी शास्ति के</mark> अधिरोपण के पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा.

- (३) उपधारा (१) के अधीन देय कर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित रीति में निर्धारित किया जाएगा.
- (४) उपधारा (३) के अधीन निर्धारित किए गए कर की वसूली या ऐसे कर की किसी रकम का प्रतिस् जो निर्धारण के पश्चात् अधिक रूप में भुगतान की गई पायी जाए, ऐसी रीति में किया जाएगा, जो विहित की
- (५) उपधारा (३) के अधीन निर्धारित किए गए कर की रकम का और अधिरोपित शास्ति का, यदि हो, यदि भुगतान नहीं किया गया हो, वहां उसकी वसूली सक्षम प्राधिकारी द्वारा भू-राजस्व के बकाया के तौ की जाएगी.

अपील.

५. (१) सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित निर्धारण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की प्रति प्राप्ति की तारीख़ से तीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा और अपील प्राधि उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसा वह न्यायसंगत तथा उचित समझे:

परन्तु अपील प्राधिकारी, इस प्रकार विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के पश्चात् अपील स्वीकार कर संकेगा उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास उक्त कालावधि के भीतर अपील प्रस्तुत नहीं करने पर्याप्त कारण था:

परन्तु यह और कि उक्त प्राधिकारी द्वारा कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी, जब तक कि अपीर उस देय कर के आधे भाग का भुगतान नहीं कर देता है जिसके विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है.

(२) सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश, अपील में पारित आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन हुए अंतिम होगा.

सक्षम प्राधिकारी की सहायता करने के लिए व्यक्तियों की नियुक्ति.

- ६. (१) राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी किसी व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी की सहायता करने के नियुक्त कर सकेगा.
- (२) सक्षम प्राधिकारी की शक्तियां, कर्तव्य या कृत्य, उपधारा (१) के अधीन नियुक्त किए गए विव्यक्ति को ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्यायोजित किये जा सकेंगे, जो कि विकिए जाएं.

कर आगम का पृथक् लेखा-शीर्ष रखा जाना. ७. कर के आगम को राज्य बजट के एक पृथक् लेखा-शीर्ष में रखा जाएगा जो ऐसी रीति में प्रश होगा, जैसी कि विहित की जाए.

कर के आगम का उपयोग. ८. राज्य सरकार द्वारा पिछड़े क्षेत्रों तथा खनिज क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखते हुए, जिनके लिए राज्य सर उपयुक्त अवसंरचनात्मक विकास कार्यक्रम तैयार करके कर के आगम का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना सड़कों के सुधार तथा विकास के लिए किया जाएगा.

सक्षम प्राधिकारी तथा अन्य व्यक्ति लोक सेवक होंगे.

९. सक्षम प्राधिकारी तथा धारा ६ की उपधारा (१) के अधीन नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति, जो अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी की शक्तियों तथा कृत्यों का निर्वहन करने के लिये सम्यक् रूप से प्राधिकार गए हों, भारतीय दण्ड संहिता, १८६० (१८६० का सं. ४५) की धारा २१ के अर्थ के अंतर्गत लोक रं समझे जाएंगें.

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण. १०. किसी भी ऐसी बात के संबंध में, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों अथवा गये आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई हो या किए जाने के लिए आशियत हो, राज्य सरकार या प्राधिकारी या धारा ६ की उपधारा (१) के अधीन नियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विकरिद्ध नहीं होगी.

- ११. (१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम विषम बनाने की बना सकेगी. शवित.
- (२) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले निना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के संबंध में उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :--
 - (क) धारा २ के खण्ड (क) के अधीन खनिजधारी भूमि के वार्षिक मूल्य का अवधारण;
 - (ख) धारा २ के खण्ड (ख) के अधीन सक्षम् प्राधिकारी की नियुक्ति;
 - (ग) धारा २ के खण्ड (ग) के अधीन अपील प्राधिकारी की नियुक्ति;
 - (घ) उस खनिजधारी की भूमि के संबंध में, जिरामें खनिज उत्पादित नहीं हुआ हो, धारा ३ की उपधारा (२) के परन्तुक के अधीन कर का अवधारण:
 - (ङ) धारा ३ की उपधारा (३) के अधीन समिति की नियुक्ति;
 - (च) विवरणियों तथा अन्य सुसंगत जानकारी का प्रस्तुत किया जाना, जो धारा ४ की उपधारा (१) के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो;
 - (छ) जहां व्यक्ति धारा ४ की उपधारा (१) के परंतुक के अधीन एक से अधिक खनिज के लिए खनिजधारी भूमि धारण करता हो, वहां कर का भुगतान;
 - (ज) सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा ४ की उपधारा (३) के अधीन कर का निर्धारण;
 - (झ) सक्षम प्राधिकारी की धारा ६ की उपधारा (२) के अधीन शिक्तयां कर्तव्य तथा कृत्यों का प्रत्यायोजनः और
 - (ञ) समस्त अन्य विषय, जो इस अधिनियम के अधीन विहित किए जाएं या जिनका विहित किया जाना अपेक्षित हो.
- (३) राज्य सरकार, इस धारा के अधीन नियम बनाने में यह उपबंध कर सकेगी कि किसी नियम का भंग होने पर ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा और जहां भंग चालू रहने वाला हो, वहां ऐसे और जुर्माने से, जो प्रथम बार भंग के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान भंग जारी रहे, पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा.
 - (४) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे.
- १२. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी:

कठिनाइयों दूर करने की शक्ति.

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि का अवसान होने के पश्चात् नहीं किया जाएगा.

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2005

क्र. 1631-99-इक्कीस-अ(प्रा.).-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास अधिनियम, 2005 (क्रमांक 7 सन् 2005) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अखिलेश पंड्या, अति. सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No.7 of 2005.

THE MADHYA PRADESH GRAMIN AVSANRACHNA TATHA SADAK VIKAS ADHINIYAM, 2005.

TABLE OF CONTENTS

Sections:

- 1. Short title, extent and commencement.
- 2. Definitions.
- 3. Levy of tax.
- 4. Payment and recovery of tax.
- 5. Appeal.
- 6. Appointment of persons to assist competent authority.
- 7. Separate head of account for tax proceeds.
- 8. Utilisation of tax proceeds.
- 9. Competent authority and other persons to be public servant.
- 10. Protection of action taken in good faith.
- 11. Power to make rules.
- 12. Power to remove difficulties.

MADHYA PRADESH ACT

No.7 of 2005.

THE MADHYA PRADESH GRAMIN AVSANRACHNA TATHA SADAK VIKAS ADHINIYAM, 2005.

[Received the assent of the Governor on the 29th March 2005; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 31st March 2005.]

An Act further to provide for additional resources for development of infrastructure and roads in rural areas with special emphasis to backward and mining areas of the State.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Fifty-sixth year of the Republic of India as follows:—

Short title, extent and commencement.

- 1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Gramin Avsanrachna Tatha Sadak Vikas Adhiniyam, 2005.
 - (2) It shall extend to the whole of the State of Madhya Pradesh.
- (3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

Definitions.

- 2. In this Act, unless the context otherwise requires,—
 - (a) "annual value of mineral bearing land" in relation to a financial year, means one-half of the value of mineral produced from mineral bearing land during the two years

years immediately preceding that financial year, the value of mineral being that as could have been fetched by the entire production of mineral during the said two immediately preceding years, had the owner of such mineral bearing land sold such mineral at the price or prices excluding the amount of tax, fee, duty, royalty, crushing charge, washing charge, transport charge or any other amount as may be prescribed, that previled on the date immediately preceding the first day of that financial year.

- Explanation-I.—Where different prices are prevailing on the date immediately preceding the first date of that financial year for different grades or qualities of mineral, the value of mineral of each grade or quality produced during the two years immediately preceding that financial year shall be determined accordingly.
- Explanation-II.—Where no prices of mineral are available on the date immediately preceding the first date of that financial year, the price or prices of mineral shall be determined by the State Government, in such manner as may be prescribed;
- (b) "competent authority" means the authority as may be prescribed;
- (c) "appellate authority" means the authority as may be prescribed;
- (d) "coal bearing land" means any land acquired or declared as such from time to time under any law for the purpose of obtaining coal;
- (e) "mineral bearing land" means any land which bears minerals, as defined in clause (a) of Section 3 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), and held for carrying on mining operation and includes coal bearing land;
- (f) "proceeds of tax" means the proceeds of tax levied under Section 3;
- (g) "tax" means the rural infrastructure and roads development tax levied under Section 3; and
- (h) "year" means the financial year.
- 3. (1) On and from commencement of this Act, there shall be levied and collected a Levy of tax. rural infrastructure and roads development tax on all mineral bearing land in the manner hereinafter provided.

(2) The rural infrastructure and roads development tax shall be levied annually on all mineral bearing land at such rate, not exceeding twenty percentum of the annual value of such mineral bearing land, as the State Government may, by notification, fix in that behalf, and different rates may be fixed for different mineral bearing land:

Provided that where in case of any mineral bearing land, there is no production of mineral for two consecutive years or more, such land shall be liable for levy of tax at such rate, as may be prescribed:

Provided further that the State Government shall not enhance the rate of tax in respect of any such mineral bearing land more than once during any period of three years.

- (3) The State Government, before fixing the rate of tax under sub-section (2), shall appoint a committee, is such manner as may be prescribed who shall recommend to the State Government the rate at which the tax may be levied.
- (4) Every notification issued under sub-section (2) shall be laid on the table of the Legislative Assembly.

Payment and recovery of tax.

4. (1) The tax payable under sub-section (2) of Section 3 in respect of mineral bearing land shall be paid by the person, who holds such land, to the State Government in such manner, at such interval and by such date or dates as may be prescribed:

Provided that where any person holds mineral bearing land for more than one mineral, the tax shall be paid by him in such manner as may be determined by rules made under this Act.

(2) Every holder of a mineral bearing land shall be liable to pay, by way of penalty in default of payment of tax payable by him under sub-section (1) for any period by the prescribed date, an amount not exceeding three times of the tax so payable by him for that period:

Provided that the competent authority shall give the holder of mineral bearing land a reasonable opportunity of being heard before imposition of such penalty.

- (3) The tax payable under sub-section (1) shall be assessed by the competent authority in the prescribed manner.
- (4) Recovery of tax assessed under sub-section (3) or refund of any amount of such tax found to have been paid in excess after assessment shall be made in such manner, as may be prescribed.
- (5) The amount of tax assessed under sub-section (3) and penalty, if any, imposed, if not paid, shall be recovered by the competent authority as an arrear of land revenue,

Appeal.

5. (1) Any person aggrieved by any order of assessment passd by the competent authority may prefer an appeal before the appellate authority within thirty days from the date of receipt of the copy of such order and the appellate authority may pass such order thereon as it may deem just and proper:

Provided that the appellate authority may admit the appeal after the period so specified if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal within the said period:

Provided further that no appeal shall be entertained by the said authority unless the appellant deposits one-half of the tax due against which the appeal has been preferred.

(2) Any order passed by the competent authority, subject to the order passed in appeal, if any, shall be final.

Appointment of persons to assist c o m p e t e n t authority.

- 6. (1) The State Government or the competent authority may appoint any person to assist the competent authority.
- (2) Any powers, duties or functions of the competent authority may be delegated to any person appointed under sub-section (1) in such manner and subject to such conditions as may be prescribed.

Separate head of account for tax proceeds.

7. The proceeds of the tax shall be kept in a separate head of account in the State budget which shall be administered in such manner as may be prescribed.

Utilisation of tax proceeds.

8. The proceeds of the tax shall be utilized by the State Government for improvement and development of infrastructure and roads in rural areas, with special emphasis to backward areas and mining areas, for which, the State Government shall take appropriate measures by drawing up suitable infrastructure development programmes.

The competent authority and every person appointed under sub-section (1) of Section 6 authorized to discharge the powers and functions of the competent authority under this Act be deemed to be public servants within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code, (45 of 1860).

Competent authority, and other persons to be public servant.

10. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State Government or competent authority or person appointed under sub-section (1) of Section 6 or the appellate authority in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of provisions of this Act or rules or order made thereunder.

Protection of action taken in good faith.

11. (1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

Power to make

- (2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—
 - (a) In the matter of determination of annual value of mineral bearing land under clause (a) of Section 2;
 - (b) Appointment of competent authority under clause (b) of Section 2;
 - (c) Appointment of appellate authority under clause (c) of Section 2;
 - (d) Determination of tax under proviso to sub-section (2) of Section 3 in respect of mineral bearing land in which mineral has not been produced;
 - (e) Appointment of committee under sub-section (3) of Section 3;
 - (f) Submission of returns and other relevant information as may be necessary for the purposes of sub-section (1) of Section 4;
 - (g) Payment of tax where person holds mineral bearing land for more than one mineral under proviso to sub-section (1) of Section 4;
 - (h) Assessment of tax by the competent authority under sub-section (3) of Section 4;
 - (i) Delegation of powers, duties and functions of the competent authority under subsection (2) of Section 6; and
 - (j) All other matters which may be, or are required to be, prescribed under this Act.
- (3) In making any rule under this Section, the State Government may provide that a breach thereof shall be punishable with fine which may extend to five thousand rupees and where the breach is a continuing one, with further fine which may extend to five hundred rupees for every day after the first during which the breach continues.
 - (4) All rules made under this Act shall be laid on the table of the Legislative Assembly.
- 12. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, not inconsistent with the provisions of this Act, remove the difficulty:

Power to remove difficulties.

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.